भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1334
दिनांक 09.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई–पासपोर्ट

1334. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियनः
श्री डी. एम. कथीर आनन्दः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नागरिकों के लिए एम्बेडेड चिप्स, भावी प्रौद्योगिकी और उन्नत सुरक्षा विशेषताओं वाले ई–पासपोर्ट शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों को उनके पासपोर्ट बार कोड की स्कैनिंग के मुद्दों के कारण पेश आ रही समस्याओं पर ध्यान दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा अब तक राज्य–वार कुल कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार की देश भर में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए नामांकित सभी छात्रों को पासपोर्ट जारी करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) से (घ) वर्तमान में ई–पासपोर्ट परियोजना, जो मंत्रालय के प्रमुख पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का हिस्सा है, अंतिम परीक्षण के अध्यधीन है और ई–पासपोर्ट की प्रायोगिक शुरूआत की योजना बनाई जा रही है। इसके पश्चात सफल प्रायोगिक शुरूआत के बाद ई–पासपोर्ट को पूरे देश में चरणबद्ध रूप से शुरू किया जाएगा।

ई–पासपोर्ट एक संयुक्त रूप से कागजयुक्त और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है जिसमें इनले के रूप में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) चिप और एक एंटीना लगा होता है। ई–पासपोर्ट का मुख्य लाभ पासपोर्ट पर मुद्रित और पासपोर्ट की चिप पर डिजिटल रूप से संग्रहीत डेटा द्वारा इस पर अंकित आंकड़ों की अखंडता को संरक्षित करने की बढ़ी हुई क्षमता है; इससे इसकी नकल करना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा, ई–पासपोर्ट की सुरक्षा को सार्वजनिक कुंजी इन्फ्रास्ट्रक्चर (पीकेआई) के माध्यम से और बढ़ाया जाता है जो संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा का आधार है, और ई–पासपोर्ट के भीतर चिप पर संग्रहीत व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक डेटा की अखंडता और उत्पत्ति की पुष्टि करता है।

सरकार के पास विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के पासपोर्ट बार कोड की स्कैनिंग संबंधी समस्या का कोई मामला सामने नहीं आया है।

पिछले पांच वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की राज्यवार कुल संख्या अनुबंध–। में संलग्न है।

अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके और आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने पर कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है।

*****

अनुबंध– ।

पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य वार जारी किए गए पासपोर्ट

राज्य	2019	2020	2021	2022	2023
अंडमान एवं निकोबार	65	19	1637	3031	5534
आंध्र प्रदेश	406947	189276	306431	503895	590921
अरूणाचल प्रदेश	5033	2001	2068	3786	5423
असम	94373	41574	58018	118943	132252
बिहार	301118	169218	255005	395609	374362
चंडीगढ़	34827	16659	21051	27560	32965
छत्तीसगढ	56669	21337	27204	48230	54097
दादरा एवं नगर हवेली	2924	1113	1983	2889	3346
दमन एवं दीव	5615	3266	5304	4238	4310
दिल्ली	472744	213254	287905	415979	495072
गोवा	51352	26486	34268	51026	56910
गुजरात	838068	380582	514258	759560	1021350
हरियाणा	403413	201690	288303	481993	582408
हिमाचल प्रदेश	59061	28124	41420	53481	69909
जम्मू एवं कश्मीर	121840	72958	67157	121127	158985
झारखंड	92826	40431	66488	100645	108632
कर्नाटक	762962	344302	427835	713991	834992
केरल	1192862	650708	929369	1513058	1547825
लद्दाख	20	968	2337	4080	6288
लक्षद्वीप	2128	864	1064	2049	2445
मध्य प्रदेश	220207	92063	112721	199785	238914
महाराष्ट्र	1296683	566199	764668	1250829	1510112
मणिपुर	14798	5415	7440	13437	11347
मेघालय	9190	3398	3583	7212	9871
मिजोरम	5999	2176	2373	4796	7118
नगालैंड	6852	3285	3949	5337	7855
ओडिशा	114751	53502	74728	111994	124239
पुदुचेरी	26309	13517	18888	28061	30389
पंजाब	946793	482413	644678	935884	1194100
राजस्थान	344030	174611	225950	377479	453139
सिक्किम	6642	2082	3140	4937	6110
तमिल तमिलनाडु	1045803	471717	667563	1053907	1147513
तेलंगाना	524108	276766	420929	634854	791680
त्रिपुरा	33223	24170	14864	26026	37153
उत्तर प्रदेश	987102	496619	642165	1115650	1368760
उत्तराखंड	107127	48198	73676	99135	129602
पश्चिम बंगाल	520935	291653	343071	546710	598494
कुल योग	11115399	5412614	7363491	11741203	13754422

*****